पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 352/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.11.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 14.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

01.थाना जहानागंज: चोरी गये सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक- 14.11.24 को उ0नि0 व0उ0नि0 हृदयानन्द पाठक मय हमराह द्वारा थाना जहानागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 331/24 धारा 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभि0 कमलेश चौहान पुत्र श्री बहादुर चौहान निवासी सीही थाना जहानागंज आजमगढ़ को चोरी गये सामान 01 इन्वर्टर व 02 बैटरी के बिक्री से मिले पैसो में से शेष बचे हुये 800/- रूपये के साथ रामपुर तिराहे समय 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 4/5.11.24 की रात को अपने ही गाँव मुस्तफाबाद सीही के सोनू राजभर के टिबेल से टिबेल का पानी का पंखा मय इन्जन सेट मै तथा विशाल यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी सठियाव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व अमित चौहान पुत्र सागर चौहान निवासी सीही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ व विवेक चौहान पुत्र प्रदीप चौहान निवासी सीही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ हम चारो मिलकर चोरी किये थे जिसे बेचने के लिये लेकर जा रहे थे की पुलिस वालो द्वारा मेरे साथी विशाल यादव , अमित चौहान, व विवेक चौहान को दिनांक 7.11.24 को महुआमुरारपुर से नाजिरपुर सरया जाने वाले मेन रोड के पास से चोरी गये सामान के साथ पकड़ लिया गया वही पर मै भी था लेकिन भागने मै मौके से भागने मे सफल हो गया था । जो टिबेल का पानी का पंखा मय इन्जन सेट बरामद था वह वही सोनू राजभर की टिबेल से हम चारो मिलकर चोरी किये थे जिसकी योजना मैने बनाया था । तथा और घटना को पूछने पर बताया कि दिनांक 22.6.24 की रात मे मेरे ही योजना पर हम मै व तथा विशाल यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी सठियाव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ व अमित चौहान पुत्र सागर चौहान निवासी सीही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ व विवेक चौहान पुत्र प्रदीप चौहान निवासी सीही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ हम चारो मिलकर मुस्तफाबाद बनकटा पेट्रोल पंम्प के पीछे से एक आफिस का ताला तोड़कर 02 इनवर्टर की बैटरी व 01 जनरेटर चोरी किये थे ।

आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0- 331/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

2. मु0अ0स0 574/24 धारा 303(2),351(2) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़

3.मु0अ0सं0- 206/22 धारा 323, 504, 506, 336 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(5ए) एससी/एसटी एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

02.थाना- कोतवाली:चोरी गये चेन के साथ 03 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

अवगत कराना है कि दिनांक- 13.11.24 को वादिनी संध्या सिंह पत्नी राजमणि सिंह निवासिनी ग्राम बिसईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मै अपने मायके हीरापट्टी मे अपने भाई की शादी मे आई हूँ दिनांक 13/11/24 को समय करीब 14.00 बजे मै हरिऔध नगर से पहाड़पुर ई-रिक्शा से आ रही थी उसी ई रिक्शे मे कुछ समय पश्चात तीन महिलाये उसी ई-रिक्शा मे बैठी और पहाड़पुर तिराहे पर पहुची तो मुझे आभास हुआ कि उक्त तीनो महिलाये मिलकर चोरी से मेरे गले की चैन चुराने की नियत से काट दी थी मुझे गले पर सरकने का आभास हुआ तो पता चला कि उक्त तीनो महिलाओ और मेरे गले की चैन को चुराने का प्रयास किया गया मेरा चैन टूटकर मेरे हाथ मे आ गई थी जब मैने इसका विरोध किया तो उक्त तीनो महिलाओ द्वारा मुझे गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी जाने लगी मै तुरन्त इसकी सूचना चौकी पहाड़पुर पर दिया तो चौकी पहाड़पुर महिला व पुरूष बल द्वारा उन्हे मेरे साथ पकड़कर थाना लाया गया है आवेदिका द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 624/24 धारा 303(2), 62, 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण – दिनांक- 13.11.2024 उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता 1.संगीता पत्नी अजय, 2. सीमा पत्नी विशाल, 3. कुसुम पत्नी चंदन निवासीगण करवानिया गांव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को समय 15.00 बजे पहाड़पुर तिराहा से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। तथा कब्जे से सोने की चैन बरामद की गयी।

आपराधिक इतिहास – अभियुक्ता संगीता पत्नी अजय

1.मु0अ0सं0 103/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 624/24 धारा 303(2),62,352,351(3) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

03.थाना सरायमीर: छेड़खानी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.10.24 को वादिनी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी की लडकी उम्र करीब 14 वर्ष कल दिनांक 02.10.24 को समय करीब 1.00 बजे दिन में जंगल में घर के पीछे गई थी । वही पर पहले से मौजूद विपक्षी अभिषेक विश्वकर्मा पुत्र अज्ञात व मुन्ना पुत्र सुनील विश्वकर्मा नि0 ओस्ती थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरे लडकी को पकड लिया और छेडखानी की गयी चिल्लाने लगी तब यह लोग उसे छोडकर भाग गए । के सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0स0 521/24 धारा 75 (ए) बी.एन.एस. व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 धीरज कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 70(2)/123 बीएनएस व 5जी /6 पाक्सो एक्ट का अपराध पाये जाने पर धारा की बढ़ोत्तरी करते हुये धारा 75 (ए) बी.एन.एस. व 7/8 पाक्सो एक्ट को विलोपित किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक- 14.11.2024 को उ0नि0 धीरज कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1- अभिषेक विश्वकर्मा पुत्र सत्येन्द्र विश्वकर्मा सा0 ओस्ती थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, 2. पप्पू उर्फ मुन्ना विश्वकर्मा पुत्र सुनील विश्वकर्मा सा0 ओस्ती थाना सरायमीर आजमगढ़ को बस्ती गाँव के आगे मुख्य सड़क मार्ग पर निर्माधीन मन्दिर के पास से समय करीब 06.10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04.थाना दीदारगंजः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक- 08.11.2024 को वादिनी थाना दीदारगंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 07.11.2024 को विपक्षी विकास पुत्र सुबारा राजभर सा0 मियापुर थाना कोतवाली शाहगंज जिला जौनपुर द्वारा वादिनी की लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 267/24धारा 137(2), 87 बनाम विकास पुत्र सुबारा राजभर सा0 मियापुर थाना कोतवाली शाहगंज जिला जौनपुर पंजीकृत किया गया था। पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1),115(2),351(2)BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी थी जिसमें अभियुक्त विकास उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक- 14.11.2024 को उ0नि0 करमुल्ला अली मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विकास पुत्र सुभाष उम्र करीब 26 वर्ष साकिनान ग्राम मियापुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर को शेखवलिया मोड बहद ग्राम शेखवलिया से समय करीब 8.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

प्रेस-विज्ञप्ति

27वीं वाराणसी जोन की अन्तर-जनपदीय जूडो कलस्टर (महिला/पुरूष), बुशु, ताइक्वांडो, कराटे और पेंचक सिलाट प्रतियोगिता (2024) का शुभारम्भ; 06 जनपदों के कुल 76 प्रतिभागियों ने किया प्रतिभाग।

आज दिनांक- 14.11.2024 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा पुलिस लाइन्स आजमगढ़ के प्रांगण में 27वीं वाराणसी जोन की अन्तर-जनपदीय जूडो कलस्टर (महिला/पुरूष), बुशु, ताइक्वांडो, कराटे और पेंचक सिलाट प्रतियोगिता (2024) का शुभारम्भ किया गया तथा उक्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को अभिप्रेरित कर शपथ दिलाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

उक्त प्रतियोगिता दिनांकः 14.11.2024 से 16.11.2024 तक चलेगी। प्रतियोगिता में कुल 06 जनपदों के कुल 76 (पुरूष-55 व महिला-21) प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। जनपद आजमगढ़ से 29, जौनपुर से 24, चंदौली व गाजीपुर से 08-08, भदोही से 05 तथा जनपद वाराणसी से 02 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। उक्त कार्यक्रम अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक अनन्त चन्द्रशेखर, अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहें।